

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० कैम्प रीवा



C.F. Rs. 20/-

R-2462-113

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

1. बेवा कलौवती सिंह पत्नी स्व० श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, उम्र 88 वर्ष
2. बेवा कल्पना सिंह पत्नी स्व० श्री पाण्डव कुमार सिंह, उम्र 64 वर्ष
3. राजेश रतन सिंह तनय स्व० श्री पाण्डव कुमार सिंह, उम्र 43 वर्ष,
4. राकेश रतन सिंह तनय स्व० श्री पाण्डव कुमार सिंह, उम्र 40 वर्ष
5. उमेश सिंह पिता स्व० श्री वीरेन्द्र सिंह, उम्र 59 वर्ष
6. सतेन्द्र सिंह पिता स्व० श्री वीरेन्द्र सिंह, उम्र 55 वर्ष
7. सजन सिंह, पिता स्व० श्री वीरेन्द्र सिंह, उम्र 53 वर्ष
8. विनय सिंह, पिता स्व० श्री वीरेन्द्र सिंह, उम्र 50 वर्ष
9. मनोज सिंह, पिता स्व० श्री वीरेन्द्र सिंह, उम्र 42 वर्ष

सभी निवासी ग्राम करौदिया दक्षिण टोला, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी म०प्र०

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी विजय बहादुर सिंह, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी
ग्राम पनवार चौहान टोला, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी म०प्र०
2. म०प्र० शासनउत्तरवादीगण

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 29.09.2012 जो प्रकरण क्रमांक
62/अ-5/2004-2005 में तहसीलदार
महोदय, तहसील गोपद बनास, जिला-सीधी
म०प्र० ने पारित किया है और जिसके द्वारा
ग्राम करौदिया दक्षिण टोला तहसील गोपद
बनास, जिला सीधी म०प्र० जो नगरपालिका

Handwritten signature

129
2-5-13

अधिवक्ता श्री पिप्रासील
द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि. 2.05.2013

Handwritten signature
राजस्व मण्डल, म०प्र०
ग्वालियर

22-6-13

Handwritten signature
श्रीमान
21/5/13


Handwritten signature

(174)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2462- जे 113 जिला- सीधी

श्रीमती कलावती सिंह वगैरे विरुद्ध श्रीमती माधुरी सिंह

(1)	(2)	(3)
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अशोक तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नन्दब तहसीलदार/ सजस्व तहसीलदार, तहसील गोपदबगान के प्रकरण क्रमांक 62/21.5/04-85 में पारित आदेश दिनांक 29-9-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-3-19 को कलेक्टर-सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

12/12/18
8/15/18

Asst. Commr